राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ. / तक. / उवसं / 2021–22 / 8859 दिनांक :– 2/12/2021

निमित,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
RDSA MINING LLP,
पाटनी सदन, तेली मोहल्ला,
मदनगंज–किशनगढ
जिला–अजमेर (राज.) 305801

विषय :– Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan (Proposal no. FP/RJ/MIN/142599/2021)

संदर्भ :– आपका पत्रांक 16 दिनांक 01.11.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 7547 दिनांक 06.10.2021 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन करने पर यह प्रतीत हुआ है कि आपके द्वारा इस कार्यालय द्वारा चाही गई सूचनाऐं पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः निम्न सूचनाऐं इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

1- आप द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि के संबंध में जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा पत्राचार की प्रति उपलब्ध कराई गई है। आप इस संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि के चिन्हित करने के उपरांत इस कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

2- आपके द्वारा राजस्व मानचित्र पर जियो रेफरेंस की हार्ड प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है।

3- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी वन संरक्षण अधिनियम 2003, दिशा–निर्देशिका अनुसार खनन परियोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के अध्याय 7 के पैरा संख्या 7.8 के संबंध में निम्न सूचना प्रस्तुत करें–

i. प्रत्यावर्तन हेतु चिन्हित की गई वन भूमि के अलावा शेष वन क्षेत्र में परिवहन एवं कार्य करने वाले श्रमिकों के द्वारा वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाने संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

ii. पूर्व में जारी खनन लीज में आप द्वारा सुधार (Reclamation) किए गए क्षेत्र की योजना रिपोर्ट एवं उसकी पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

iii. प्रत्यावर्तन हेतु चिन्हित की गई लीज की खनन पीट कहां पर होगी, वृक्षों के पातन की योजना, खनन कार्य के पश्चात् सुधार की (Reclamation) योजना भी प्रस्तुत करें।

iv. कठोर मिट्टी (Top Soil) एवं उप मिट्टी (Sub-Soil) का भण्डार एवं प्रबंधन के स्थान से अवगत करावें तथा मक के निस्तारण की योजना भी प्रस्तुत करें।

(सुनील कुमार भा.व.से)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़ (राज.)